संख्या-32/2025/आई/923343/2025/001-23-11099(099)/120/2023

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2025**

विषय:- जनपद अलीगढ़ में जी**0**टी**0** रोड (पुराना) राष्ट्रीय राजमार्ग-**91** से मेहरावल रेलवे स्टेशन को जोड़ने हेतु चार लेन चौड़ीकरण सम्पर्क मार्ग (लम्बाई **3.10** किमी**0)** निर्माण का कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-12828/सीई-एचक्यू 1/लॉजिस्टिक/एएलआई/2024-25, दिनांक 19.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में जी**0**टी**0** रोड (पुराना) राष्ट्रीय राजमार्ग-91 से मेहरावल रेलवे स्टेशन को जोड़ने हेतु चार लेन चौड़ीकरण सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 3.10 किमी0) निर्माण का कार्य के संबंध में वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-03-337-13-54-24 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत चालू कार्यों की मद में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 328.00 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 328.00 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054033371354 औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण का कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में विभागाध्यक्ष को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)

उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/6/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।